



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2006 (आश्विन 29, 1928)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2006 (ASVINA 29, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात् :

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“जमा राशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध”

3.(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी तब तक कोई भी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी जब तक कि आवास वित्त कंपनी ने किसी एक अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से अपनी सावधि जमाओं के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त न की हो और रेटिंग की प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रेषित की जाए तथा कंपनी सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, बशर्त कि :

- आवास वित्त कंपनी ने उपरोक्त अनुसार अपनी सावधि जमाओं के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग से नीचे प्राप्त न की हो और सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, तब कंपनी अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है।
- आवास वित्त कंपनी जिसे अपनी सावधि जमाओं के लिए अपेक्षित रेटिंग प्राप्त न हुई हो, अधिसूचना की तारीख से छह माह के

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)  
आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2006

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.17/सीएमडी/2006--राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना

अंदर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमत्य वृद्धिकाल में, जो उसे अपनी सावधि जमाओं के लिए निर्दिष्ट रेटिंग प्राप्त करने के लिए दिया गया हो, उसे प्राप्त करेगी।

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम फिलहाल निम्नानुसार हैं :--

- (क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि.
- (ख) आईसीआरए लि.
- (ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर)
- (घ) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेपों सहित कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी सकल राशि और उसके द्वारा धारित अन्य राशियां, यदि हों, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 की उप-धारा (बीबी) की धाराओं (iii) से (vii) में किया गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से लिये ऋण या अन्य सहायता की राशि उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के सोलह गुणा से अधिक हो।

(3) जब आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर उपर्युक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक सार्वजनिक जमा राशियां और उसे अनुमत्य अनुसार या उपर्युक्त (2) में उल्लिखित मदों में जमाओं

की राशि उपर्युक्त (2) में उल्लिखित सीमा से अधिक धारित करती हो, तो वह--

- (i) नई जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी या नए जमा खाते नहीं खोलेगी, या
- (ii) मौजूदा जमाओं का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के तहत जमा राशियां प्राप्त करती है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के तहत किस्तें प्राप्त करती है,
- (iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटा देती है।
- (4) निवेश ग्रेड से नीचे किसी भी स्तर क्रेडिट रेटिंग कम होने की दशा में, आवास वित्त कंपनी--
  - (i) स्थिति रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को पन्द्रह दिन में भेजेगी,
  - (ii) नई जमा राशियां स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर देगी, और
  - (iii) परिपक्वता होने पर भुगतान करके उन फालतू जमा राशियों को घटाएगी।

एस. श्रीधर  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

3एनएस

(iii)

रजिस्ट्र

क्र. २

1.

2.

NATIONAL HOUSING BANK  
(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BANK  
OF INDIA)

HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB)  
DIRECTIONS, 2001

New Delhi, the 29th September 2006

No. NHB. HFC. DIR. 17/CMD/2006—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :—

In paragraph 3 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, the following shall be substituted, viz.

“Restriction on acceptance of deposits

3. (1) No housing finance company shall accept or renew public deposits unless the housing finance company has obtained minimum investment grade rating for its fixed deposits from any one of the approved rating agencies, at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms, provided that :

- (i) a housing finance company having obtained credit rating for its fixed deposits not below the minimum investment grade rating as above and complying with all the prudential norms, may accept public deposits not exceeding five times of its NOF.
- (ii) a housing finance company which does not have the requisite rating for its fixed deposits shall obtain

the same within a period of six months time from the date of notification or such extended period as may be permitted by the National Housing Bank, to obtain the prescribed rating for its fixed deposits.

Approved Credit Rating Agencies

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows :—

- (a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)
- (b) ICRA Ltd.
- (c) Credit Analysis & Research Ltd. (CARE)
- (d) FITCH Ratings India Private Ltd.

(2) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of sixteen times of its NOF.

(3) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in (1) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in (2) above in excess of the limits specified in (2) above, it shall :—

- (i) not accept fresh deposits or open new deposit account; or
- (ii) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme, receive instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;
- (iii) reduce such excess by repayment on maturity.

(4) In the event of down gradation of the credit rating to any level below investment grade, the housing finance company shall

- (i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;
- (ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit and
- (iii) reduce such excess deposit by repayment on maturity.”

S. SRIDHAR  
Chairman & Managing Director